



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा-बलौदा बाजार जिले के बलौदा बाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं कोठारी परिक्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लॉक के वन भूमि रकबा 1.137 हे. वन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 1.137 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 22/02/2022

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/ विविध-1ए/115-851/356

दिनांक 23/02/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Barnawapara Sanctuary Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 1.137 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43975/ 2020

संदर्भ:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व. प्रा./ प्रबंध-535 / 4027 दिनांक 03.11.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर का ई.डी.एस. दिनांक 11.02.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार क्षेत्र निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा-बलौदा बाजार जिले के बलौदा बाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं कोठारी परिक्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लाक के वन भूमि रकबा 1.137 हे. वन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 43975/ 2020 आबटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/- जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	2
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा-बलौदा बाजार जिले के बलौदा बाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं कोठारी परिक्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को ब्लाक के वन भूमि रकबा 1.137 हे. के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	3-4
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- बलौदा बाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं कोठारी परिक्षेत्र अंतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को मौजूदा राईट आफ के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 3.567 हे. है।	5
5.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का	6-7

	मानचित्र संलग्न है।	
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	8-12
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 8 करोड़ 71 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि बलौदा बाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य एवं कोठारी परिक्षेत्र के ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से संपादित होंगे।	13-20
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	21-23
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में वन मंडलाधिकारी, बलौदा बाजार एवं आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	24
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	25
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- प्रपत्र-3 पर वन मंडलाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 19.02.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं निदेशक उदन्ती-सीतानदी टाईगर रिजर्व द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	26-38
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है। वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	39
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	40-43
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- कोरिया जिले के कुल वन भूमि रकबा 1154.542 वर्ग कि.मी. है।	44
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत 03 प्रकरणों में 20.391 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	45
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.-1980 तहत सूरजपुर वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए हैं।	46
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि. मी की परिधि में तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति	47

	के रूप में महर्षि बाल्मिकी आश्रम तुरतुरिया बारनवापारा अभ्यारण्य की सीमा से लगा हुआ है, किन्तु भूमिगत आष्टिकल फायबर लाईन बिछाने से उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलौदा बाजार एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 13.01.2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	48-49
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा के पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 13.01.2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	50-51
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार है।	52
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में बारनवापारा अभ्यारण्य स्थित होने के कारण परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध-4027 दिनांक 03.11.2021 से अनुशंसा की गई है।	53

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-851/357
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 23/02/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बलौदा बाजार वन मंडल, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़